"गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति सीनियर रेजिडेंट सेवा नियम 2020"

"गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समि‍ ि सीनियर रेजिडेंट सेवा नियम 2020"

नियम

गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार सेवा नियम बनाता है :-

1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति सीनियर रेजिडेंट सेवा नियम 2020" होगा.

1.2 यह नियम स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा संकल्प पारित करने की तिथि से लागू होंगे.

1.3 यह नियम गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिए शासन द्वारा स्वीकृत सीनियर रेजीडेंट के पदों के संबंध में लागू होंगे.

2 परिभाषाएं

2.1 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल.

2.2 "अर्हता" से अभिप्राय है - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा सीनियर रेजिडेंट पद के लिए निर्धारित अर्हता.

2.3 "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अंतर्गत गठित चयन समिति

2.4 "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिए गठित स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति.

3 वर्गीकरण तथा वेतनमान

3.1 सीनियर रेजिडेंट के पद को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) के नियमानुसार शैक्षणिक पद में वर्गीकृत किया जाएगा.

3.2 सीनियर रेजिडेंट को प्रति माह राज्य शासन द्वारा नियत वेतन देय होगा, अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा.

3.3 सीनियर रेजिडेंट को प्राइवेट प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी .

4 रिक्त पद, अहर्ता एवं विज्ञापन

4.1 रिक्त पद – .

4.1.1 प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष अपने विभाग में सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों की सूचना पद रिक्त होने की तिथि से एक माह पूर्व अधिष्ठाता को देंगे.

4.1.2 शासन नियमानुसार प्रतिवर्ष आरक्षण रोस्टर का पालन करने हेतु महाविद्यालय में अधिष्ठाता द्वारा एक समिति का गठन शासन नियमानुसार किया जाएगा. इस समिति में प्रत्येक आरक्षित वर्ग का एक एक सदस्य अधिष्ठाता द्वारा नामांकित किया जायेगा.

4.1.3 प्रत्येक वर्ष उपलब्ध सीनियर रेजिडेंट की सीटों का विभिन्न विभागों में आवंटन अधिष्ठाता द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा , जो अधिष्ठाता के अनुमोदन उपरान्त मान्य होगा.

4.2 अर्हता –

4.2.1 अर्हता निर्धारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें विनियमावली 1998" में नवीनतम संशोधन के आधार पर की जायेगी .

4.2.2 सीनियर रेजिडेंट के विज्ञापन दिनांक से पांच (5) वर्ष के अन्दर जिन चिकित्सकों ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है वह इस पद हेतु पात्र होंगे.

4.3 **विज्ञापन -**

4.3.1 सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त होने पर तीन (3) दिवस में पदों का वर्ग वार निर्धारण बिंदु क्रमांक 4.1.2 अनुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा. तदुपरांत पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी.

4.3.2 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन महाविद्यालय के सूचना पटल एवं संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा. विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम १० दिवस पश्चात आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की जायेगी. अंतिम तिथि के न्यूनतम 3 दिवस पश्चात साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा. साक्षात्कार हेतु आवेदकों को भत्ता देय नहीं होगा .

4.3.3 आवेदन पत्र के साथ आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रूपये 500/- एवं अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को रुपये 1000/- आवेदन शुल्क जमा करना होगा .

4.3.4 आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में IMPS/NEFT / बैंक ड्राफ्ट द्वारा Account Name:- CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank Name:- State Bank of India Account No:-10625211248 IFSC Code: SBIN0010140 में जमा कराना होगा। शुल्क की रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.

4.3.5 शासकीय सेवा में सेवारत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा । अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नही होगी।

4.4 **आवेदनों की स्क्रूटिनी –**

4.4.1 प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटिनी अधिष्ठाता द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी . उक्त समिति आवेदक का आवेदन निम्न परिस्थितियों में अमान्य करेगी :-

4.4.1.1 आयु का प्रमाण न होना

4.4.1.2 MBBS की मार्कशीट अथवा डिग्री ना होना

4.4.1.3 मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया या स्टेट मेडिकल कौंसिल का MBBS का रजिस्ट्रेशन ना होना

4.4.1.4 स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा का प्रमाण ना होना

4.4.1.5 आरक्षण का लाभ लेने हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अ.पि.व. हेतु आय प्रमाण पत्र) उक्त दस्तावेज ना होने पर आवेदक को आरक्षण का लाभ ना दिया जा कर आवेदन पत्र को अनारक्षित श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा.

4.5 **चयन समिति एवं साक्षात्कार – .**

4.5.1 महाविद्यालय में रिक्त सीनियर रेजिडेंट के पदों की गणना, विषय वार आवंटन , एवं रोस्टर क्रम निर्धारित होने के उपरांत जारी विज्ञापन में प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त प्रत्याशी का चयन करने हेतु निम्न समिति का गठन किया जाएगा.

4.5.1.1 अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय , भोपाल अथवा उनके द्वारा नामांकित वरिष्ठ प्राध्यापक (अध्यक्ष)

4.5.1.2 संभागायुक्त द्वारा मनोनीत एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक (सदस्य)

4.5.1.3 अधिष्ठाता द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग का संकाय सदस्य (सदस्य)

4.5.1.4 संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (सदस्य सचिव)

4.5.2 अधिष्ठाता प्रत्येक विभाग में सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए अलग अलग समिति का गठन करेगा.

क

4.5.3 साक्षात्कार के समय समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी. आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध ना होने पर साक्षात्कार से वंचित किया जायेगा.

4.5.4 स्वशासी चि.म. वि. के आवेदकों को मूल प्रमाण पत्र अधिष्ठाता के पास जमा होने पर अधिष्ठाता द्वारा दिया गया इन अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

4.6 **चयन सूची** –

चयन समिति निम्न आधार पर विषय वार, श्रेणी वार चयन सूची बनाएगी

4.6.1 चयन सूची तैयार करने हेतु कुल 100 अंक निर्धारित किये जायेंगे .

4.6.2 MBBS में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को अधिकतम अंक 20 के मान से आनुपातिक किया जाएगा. 20 में से प्राप्त अंकों में से 2 अंक प्रति अतिरिक्त प्रयास के लिए घटाए जायेंगे.

4.6.3 स्नातकोत्तर डिग्री (एम. डी. / एम. एस. / एम् सी आई मापदंडानुसार एम. डी. / एम. एस. के समतुल्य डी. एन. बी. डिग्री) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को अधिकतम अंक 40 के मान से आनुपातिक किया जाएगा. 40 में से प्राप्त अंकों में से 10 अंक प्रति अतिरिक्त प्रयास के लिए घटाए जायेंगे.

4.6.4 स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को अधिकतम अंक 30 के मान से आनुपातिक किया जाएगा. 30 में से प्राप्त अंकों में से 10 अंक प्रति अतिरिक्त प्रयास के लिए घटाए जायेंगे.

4.6.5 अनुसंधान प्रकाशन हेतु प्रति मान्य (MCI मापदण्ड अनुसार) प्रकाशन 5 अंक दिए जाकर अधिकतम अंक 20 निर्धारित किये जायेंगे. *(only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author.*

4.6.6 साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित किये जायेंगे.

4.7 **चयन सूची से चयन की प्रक्रिया**

4.7.1 प्रत्येक विषय में, प्रत्येक श्रेणी के रिक्त पद के विरुद्ध तैयार की गयी चयन सूची में से गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता देते हुए उन्हें चयनित किया जायेगा.

4.7.2 तत्पश्चात रिक्त रहने वाले पद के विरुद्ध मध्य प्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को द्वितीय वरीयता देते हुए उन्हें चयनित किया जायेगा.

4.7.3 तत्पश्चात रिक्त रहने वाले पद के विरुद्ध मध्य प्रदेश के अन्य निजी चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को तृतीय वरीयता देते हुए उन्हें चयनित किया जायेगा.

4.7.4 तत्पश्चात रिक्त रहने वाले पद के विरुद्ध मध्य प्रदेश के बाहर किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चयनित किया जायेगा.

4.7.5 आरक्षित वर्ग में योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जाएगा

4.7.5.1 अनुसूचित जनजाति – महिला
4.7.5.2 अनुसूचित जनजाति – पुरुष
4.7.5.3 अनुसूचित जाति – महिला
4.7.5.4 अनुसूचित जाति – पुरुष
4.7.5.5 अन्य पिछड़ा वर्ग – महिला

4.7.5.6 अन्य पिछड़ा वर्ग -- पुरुष

4.7.5.7 सामान्य – महिला

4.7.5.8 सामान्य – पुरुष

4.7.6 प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध एक चिकित्सक का चयन कर एक चिकित्सक को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा. प्रतीक्षा सूची में चयनित चिकित्सक को छः माह तक पद रिक्त होने पर ज्वाइन करने की अनुमति दी जा सकेगी .

4.8 **चयनित उम्मीदवार**

4.8.1 चयनित उम्मीदवारों की सूची साक्षात्कार के दिन ही संस्था की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी. चयनित उम्मीदवारों को प्रथक से व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी.

4.8.2 चयनित उम्मीदवार को चयन दिनांक के ७ दिवस के अन्दर संस्था से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त उपस्थिति देनी होगी. उपस्थिति पूर्व मेडिकल जांच कराना आवश्यक होगा.

4.8.3 नियत दिनांक तक उपस्थिति ना दिए जाने पर नियुक्ति स्वयं ही निरस्त मानी जाकर प्रतीक्षा सूची में रखे गए प्रथम उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा.

4.8.4 प्रत्याशी अगर म. प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 4-7/2010 / 1/55 दिनांक 25.8.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होंगे. चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवा से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।

5 **सेवा की शर्तें**

5.1 सेवा की अवधि - सीनियर रेसिडेन्ट के पदों हेतु नियुक्ति एक वर्ष की अवधि की होगी एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी

5.2 इन नियमों के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

5.3 अवकाश - इन नियमों के तहत सीनियर रेजिडेंट के पद पर नियुक्त चिकित्सक को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश व साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त किसी भी अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी. साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा.

5.4 अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा. अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी लोकहित में अवकाश अस्वीकृत अथवा स्वीकृत अवकाश को रद्द करने का निर्णय दे सकेगा.

6 **आचरण**

सीनियर रेजिडेंट के पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा निम्न आचरण वांछनीय हैं

6.1 व्यावसायिक आचरण - मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तथा मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा समय-समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदंडों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना.

6.2 प्रशासनिक आचरण - सीनियर रेजिडेंट के पद से अपेक्षित कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सोंपे गए प्रशासनिक दायित्व का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना.

7 **अनुशासन तथा नियंत्रण**

सीनियर रेजिडेंट के विरुद्ध निम्नलिखित दशाओं में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी

7.1 सीनियर रेजिडेंट को सेवा से स्वतः ही पृथक माना जाएगा यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा उसका पंजीयन पंजी से स्थाई रूप से नाम हटाया गया हो.

7.2 सीनियर रेजिडेंट को 10 दिन का कारण बताओ सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात निम्नलिखित शर्तों के आधीन दंडित किया जा सकेगा :-

7.2.1 वित्तीय अनियमितता करने या महाविद्यालय अथवा सरकार को वित्तीय हानि कारित करने पर

7.2.2 कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में

7.2.3 अमर्यादित व्यावसायिक या प्रशासनिक आचरण करने की दशा में

7.2.4 गंभीर अनुशासनहीनता के आचरण की दशा में

7.2.5 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा कदाचरण की स्थिति में पंजीयन पंजी से अस्थाई रूप से नाम हटाया जाना अथवा निलंबन किया जाना

7.3 निम्नलिखित दंडों में से लिखित आख्यापक आदेश पारित करके उचित दंड अधिरोपित किया जा सकेगा

7.3.1 सेवा समाप्त करना

7.3.2 हानि की राशि वसूल करना

7.3.3 उक्त नियम 7.2.5 की अवधि को अवैतनिक घोषित करना तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को कार्य दिन अथवा अवैतनिक घोषित करना

7.4 अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल होंगे अपीलीय प्राधिकारी अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति होंगे.

7.5 अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे.

8 <u>निर्वचन</u>

इन नियमों के अधीन निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, उसे संभागायुक्त भोपाल संभाग को निर्दिष्ट किया जा कर उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा